

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 103 वीं बैठक दिनांक 18-01-2007 को प्रातः 11:30 बजे आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण एजेण्डा संख्या-1 से 9 अतिरिक्त एजेण्डा 2 व 3, वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट), एजेण्डा संख्या 3 से 5 एवं अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-1 व 4, वरिष्ठ नगर नियोजक (एम.पी.), एजेण्डा संख्या 10 से 12 वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी) द्वारा तैयार किया गया है जिसका संकलित कार्यवाही विवरण :-

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया-

1. श्री मोहन-लाल गुप्ता, माननीय विधायक राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. श्री नवरतन राजोरिया, माननीय विधायक, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
3. श्री जी.एल. गुप्ता, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री एस.सी. महागांवकर, निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
5. श्री ज्ञानाराम, अति. आयुक्त(पूर्व) जविप्रा, जयपुर।
6. श्री रामनिवास मीणा, अति. आयुक्त (पश्चिम) जविप्रा, जयपुर।
7. श्री मातादीन शर्मा, अति. आयुक्त (एल.पी.सी.) जविप्रा, जयपुर।
8. श्रीमती लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी) जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे-

1. श्री पी. अरविन्द, वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.) जविप्रा, जयपुर।
2. श्री नीरज तिवाड़ी, वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट.) जविप्रा, जयपुर।
3. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, उपायुक्त जोन-2, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री महेन्द्र पारख, उपायुक्त जोन-4, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री इकबाल खान, उपायुक्त जोन-5 जविप्रा, जयपुर।
6. श्री देवाराम सैनी, उपायुक्त जोन-6, जविप्रा जयपुर।
7. श्री गिरीशज अग्रवाल, उपायुक्त जोन-7, जविप्रा, जयपुर।
8. श्रीमती रश्मि गुप्ता, उपायुक्त जोन-8, जविप्रा, जयपुर।
9. श्री कृष्णावतार त्रिवेदी, उपायुक्त जोन-10, जविप्रा, जयपुर।
10. श्री लेखराज तोषवाडा, उपायुक्त जोन-11 जविप्रा, जयपुर।
11. श्रीमती साधना शर्मा, उप नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) जविप्रा, जयपुर।
12. श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक (बीपीसी-स्कीमस) जविप्रा, जयपुर।
13. श्रीमती आशा अवस्थी, उप नगर नियोजक (एम.पी.) जविप्रा, जयपुर।
14. श्री अनन्त देव टांक, उप नगर नियोजक, जोन-1 जविप्रा, जयपुर।
15. श्री शेराराम, उप नगर नियोजक, जोन-7, जविप्रा, जयपुर।
16. श्री गोपाल सैनी, सहायक नगर नियोजक, जोन-8, जविप्रा, जयपुर।
17. श्रीमती रिकु बंसल, सहायक नगर नियोजक, जोन-10, जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरण:-

एजेण्डा आइटम सं:-1

विषय:- बीपीसी (ले आउट प्लान) की 102 वीं बैठक दिनांक 04-05.12.2006 को सम्पन्न हुई के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

बीपीसी ले-आउट प्लान की 102वीं बैठक दिनांक 04/12/06 व 05-12-06 के अतिरिक्त एजेण्डा सं. 4 के बिन्दु सं. 6 को पूर्व के स्थान पर निम्नानुसार पढा जावें।

सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत पुरानी सदस्यता सूची में 258 सदस्य थे। अब योजना में 100' 80' 60' व 40' चौड़ी सड़क आने के कारण समिति द्वारा किये गये भूखण्डों के उपविभाजन/संशोधन के पश्चात् नयी सदस्यता सूची के अनुसार 269 सदस्य प्रस्तुत किये गये हैं। अतः सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत संशोधित सदस्यता सूची को गुणावगुण के आधार पर उपायुक्त जोन एवं उप रजिस्ट्रार सहकारीता द्वारा परीक्षण किया जाकर निर्णय लिया जावे एवं समिति द्वारा प्रस्तुत संशोधित मानचित्र को अनुमोदित किया जावें।

शेष निर्णय के बिन्दु यथावत रहेंगे।

2. बीपीसी ले-आउट प्लान की 102वीं बैठक दिनांक 04/12/06 व 05-12-06 के अतिरिक्त एजेण्डा सं. 5 के बिन्दु सं. 1 को पूर्व के स्थान पर निम्नानुसार पढा जावें।

सहकारी समिति द्वारा पुरानी सदस्यता सूची में 110 सदस्य थे समिति द्वारा किये गये भूखण्डों के उपविभाजन/संशोधन पश्चात् अब नयी सदस्यता सूची अनुसार 122 सदस्य बनाये गये हैं अतः संशोधित सूची को गुणावगुण के आधार पर उपायुक्त जोन एवं उप रजिस्ट्रार सड़कारीता द्वारा परीक्षण किया जाकर निर्णय लिया जावे एवं समिति द्वारा प्रस्तुत संशोधित प्रस्तावित मानचित्र को स्वीकृत किया जावें।

कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गयी।

एजेण्डा आइटम सं.-2

विषय:- भवन मानचित्र समिति (एलपी) की 102 वीं बैठक दिनांक 04-05.12.2006 को सम्पन्न हुई बैठक में से दिनांक 05.12.2006 को अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी) बैठक में अनुपस्थिति राजा कर्काने के संबंध में।

अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी) दिनांक 05.12.2006 को अवकाश पर है इसलिए दिनांक 05.12.2006 को इस बैठक में अनुपस्थित माना जावे।

एजेण्डा आइटम सं.-3 (जोन-02)

विषय:- राधा गोविन्द कॉलोनी (सैन कॉलोनी भवन गृ. नि. स. रा.) के पुनरावलोकन बाबत।

उपायुक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। एजेण्डा के अनुसार प्रस्तावित भूमि विद्याधर नगर योजना की अवाप्ति में है। व भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है, बैठक में प्रार्थी श्री पुष्पेन्द्र सिंह को भी सुनवाई का मौका दिया गया प्रार्थी द्वारा यह बताया गया कि उक्त भूमि का अवाई जारी किया जा चुका है किन्तु उनके द्वारा मुआवजे की राशि नहीं लिया गया है। समिति के सदस्यों द्वारा प्रार्थी का पक्ष सुनने के पश्चात एवं सम्पूर्ण तथ्यों पर विस्तृत चर्चा करने के पश्चात निर्णय लिया गया कि प्रकरण में विधिक राय लेने के पश्चात सम्पूर्ण तथ्यों सहित प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावें।

एजेण्डा आइटम सं.-4 (जोन-6)

विषय:- शिल्पाचार्य गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना राणा प्रताप नगर रोक्टर-17

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात जोन के प्रस्तावों के अनुसार भूखण्ड संख्या 33 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आइटम सं.-5 (जोन-07)

विषय:- वैशाली एनक्लेव ऑफ मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति माननीय अपीलीय अधिकरण जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिये गये फौसले के संबंध में भूखण्ड संख्या 8, 9, 10 एवं 11 वैशाली एनक्लेव योजना के संदर्भ में।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात दिनांक 04.12.06 व 05.12.06 के कार्यवाही विवरण में एजेण्डा आइटम नं. 9 के निर्णय में भूखण्ड संख्या 8, 9, व 11 के साथ-साथ भूखण्ड संख्या 10 को भी सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आइटम सं.-6 (जोन-05)

विषय :- कृषि भूमि पर बसी आवासीय योजनाओं के ले-आउट प्लान के संशुद्धि द्वारा संबंधित प्लान के भुगतान बाबत।

प्रकरण पर विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि संशुद्धि द्वारा किये गये संशोधन कार्य का भुगतान हेतु प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लिया जावे।

एजेण्डा आइटम सं.-7 (जोन-05)

विषय :- पथिक गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना 10 बी के भूखण्ड संख्या 185 से 191 के संबंध में।

प्रकरण पर विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जोन के प्रस्ताव अनुसार भूखण्ड संख्या 185-से-191 के पीछे स्थित सुविधा क्षेत्र का एण्ड यूज पार्क घोषित किया जाता है।

एजेण्डा आइटम सं.-8 (जोन-05)

विषय:- न्यू पिकसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना विश्वेसरिया नगर के अनुमोदित मानचित्र में भूखण्ड संख्या 162 ए एवं 167 ए के पीछे स्थित सुविधा क्षेत्र को पार्क में घोषित किये जाने के संबंध में।

प्रकरण पर विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस सुविधा क्षेत्र में लगभग 1000 वर्गगज भू-भाग पर स्कूल निर्मित है अतः शेष भाग जिसका क्षेत्रफल लगभग 2150 वर्ग गज है जिसका एण्ड यूज पार्क के रूप में निर्धारित किया जाता है।

एजेण्डा आइटम सं.-9 (जोन-10)

विषय:- पहाडगँज गृह निर्माण सहकारी समिति की अनुमोदित योजना 'ग्रीन पार्क' में अंकित 100' सड़क की चौड़ाई बाबत, सुविधा क्षेत्र में अंकित 34 भूखण्डों को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने बाबत, भूखण्ड संख्या सी-2 से सी-28 व सी-31 से सी-39 (कुल 36) भूखण्डों को अनुमोदित करने बाबत तथा समिति द्वारा क्रय 90 बी शुदा ग्राम पालडी मीणा के खसरा नं. 273 में स्थित भूमि के अनुमोदन ना किये जाने के निर्णय बाबत।

पहाडगँज गृह निर्माण सहकारी समिति की अनुमोदित योजना सुविधा क्षेत्र में अंकित 34 भूखण्डों को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के संबंध में विचार विमर्श किये जाकर यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण का विस्तृत एजेण्डा तैयार कर प्राधिकरण की बैठक में रखा जावे, चूंकि प्राधिकरण की बैठक होने में समय लगेगा अतः सरकारोशन से इस एजेण्डा की स्वीकृति उपायुक्त समन्वय के द्वारा करवा ली जावे।

एजेण्डा आइटम सं.-10 (जोन-08)


विषय:- निजी खातेदार की योजना केशर नगर, केशर नगर-ए, जय नगर, ग्राम सुखिया, तहसील सांगानेर।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया विचार विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के अनुसार योजना को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-

1. 80'-0" चौड़ी सड़क के दोनों ओर व्यावसायिक भू-पट्टी रखे जाने का निर्णय प्राधिकरण की बैठक में लिए जाने से पूर्व यह योजना प्राधिकरण में प्रस्तुत की गयी थी तत्समय योजना गणेश नगर व पटेल नगर में भी सड़क के दोनों ओर व्यावसायिक भू-पट्टी नहीं रखी गई थी। इसलिए इस योजना में भी 80'-0" सड़क के दोनों ओर व्यावसायिक भू-पट्टी नहीं रखे जावे तथा 80'-0" चौड़ी सड़क के निर्माण की राशि खातेदार से ली जावे।
2. खातेदार व केशर विहार-ए व जयनगर के मध्य में 60'-0" चौड़ी सड़क प्रस्तावित की है जबकि सेक्टर प्लान में इसकी चौड़ाई 80'-0" है इसलिए इस सड़क की चौड़ाई 80'-0" की जावे इस हेतु दोनों साइडों के भूखण्डों में से जमीन ली जावे।

एजेण्डा आइटम सं.-11 (जोन-08)

विषय:- सेक्टर नम्बर 39 में से सेक्टर रोड विलोपित करवाने के सम्बन्ध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया विचार विमर्श पश्चात् सेक्टर प्लान में निम्न परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया:-

1. सवाई माधोपुर रेल्वे लाइन व टोंक रोड को मिलाने हेतु 48.0 मीटर की सड़क प्रस्तावित है किन्तु इसके मध्य में ड्राईविंग सिनेमा के भूखण्ड को निलामी से सेक्टर प्लान बनने से पूर्व बेच दिया गया है इसलिए इस सड़क को विलोपित करने का निर्णय लिया गया।
2. सेक्टर प्लान में रेल्वे लाइन से टोंक रोड से मिलाने वाली 30 मीटर सड़क को सेक्टर प्लान में प्रस्ताव में मौके की स्थिति के अनुसार दर्शाये अनुसार किया जावे।
3. उपरोक्त 30 मीटर सड़क से ड्राईविंग सिनेमा की ओर जाने वाली 30 मीटर सड़क को ड्राईविंग सिनेमा तक प्रस्तावित किया जाए।
4. उपरोक्त सड़क के मध्य में 30 मीटर सड़क से टोंक रोड तक एजेण्डा में प्रस्ताव अनुसार मौके की स्थिति के अनुसार 18 मीटर चौड़ी सड़क प्रस्तावित की जावे।

एजेण्डा आइटम सं.-12 (जोन-11)

विषय:- सेक्टर 51, 52, 53 में प्राप्त आपत्तियों के संबंध में प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में।

सेक्टर 51, 52, 53, को भवन मानचित्र समिति एलपी की बैठक क्रमांक 92 दिनांक 27.01.2000 सेक्टर प्लान स्वीकृति हेतु रखा गया था। जिसमें लिये गये निर्णयों के अनुसार गुहावा सड़क की चौड़ाई 200 रखते हुए आपत्तियों का निराकरण करते हुए तथा 440 के.पी. व 220 के.पी. की हाइड्रेन्शन लाइन के नीचे क्रमशः 52.0 मीटर व 34.0 मीटर का नोन कन्स्ट्रक्शन एरिया रखते हुए सेक्टर प्लान तैयार किया गया। इन हाइड्रेन्शन लाइन के नीचे के खातेदारों द्वारा एतराज किया गया कि हाइड्रेन्शन लाइन के नीचे नोन कन्स्ट्रक्शन एरिया में ही सड़कें प्रस्तावित की जावे। इस संबंध में राय चाहने हेतु राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम को कई पत्र लिखे गये किन्तु उनसे कोई राय प्राप्त नहीं हुई इस कारण सेक्टर प्लान जारी नहीं किया सका। इसी दौरान इस सेक्टर प्लान में संशोधन हेतु कुछ आपत्तियां प्राप्त हुई उनके संबंध में प्रकरण को पुनः इस बैठक में विचारार्थ



प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् सेक्टर प्लान में एच.टी. लाइन के नीचे भूमि का भूखण्ड प्रभावित होने के कारण व निम्न आपत्तियों का निराकरण करते हुए सेक्टर प्लान को स्वीकृत कर जारी करने का निर्णय लिया गया।

1. श्रीमती शकुन्तला देवी खसरा नम्बर 1721, 1725, 1726 ग्राम भाकरोटा के फार्म हाउस दक्षिण की ओर 200' चौड़ी सड़क की स्थिति में परिवर्तन के संबंध में

गोरधन लाल झंवर की आपत्ति का निराकरण करने से श्रीमती शकुन्तला देवी का भूखण्ड प्रभावित होने के कारण समिति ने उनकी आपत्ति पर विचार विमर्श किया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि श्रीमती शकुन्तला देवी का भूखण्ड जयसिंहपुरा सड़क से तथा इस भूखण्ड के दक्षिण की ओर 200'-0" चौड़ी सड़क के कारण इनका अधिकांश भूखण्ड प्रभावित हो रहा है इसलिए इस भूखण्ड के दक्षिण की ओर प्रस्तावित 200'-0" सड़क को इस भूखण्ड के बाहर से प्रस्तावित किया जावे।

2. श्री कृष्णा फार्मस एवं रिसोर्ट में से 60'-0" चौड़ी सड़क एवं गैस पाइप लाइन भूमि के साथ-साथ प्रस्तावित 30'-30" सड़क की स्थिति परिवर्तन हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदन के संबंध में:-

मौके पर फार्म हाउस बने हुए हैं तथा इन फार्म हाउस के उत्तर पूर्व में 40'-0" सड़क उपलब्ध है। सेक्टर प्लान में प्रस्तावित 60'-0" चौड़ी सड़क के कारण दो फार्म हाउस प्रभावित हो रहे हैं इसलिए 60'-0" चौड़ी सड़क निकालना संभव नहीं है अतः समिति ने विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि फार्म हाउस के सामने 40'-0" चौड़ी सड़क को 60'-0" किया जावे तथा सड़क की चौड़ाई 60'-0" किये जाने हेतु दोनों ओर से बराबर-बराबर भूमि ली जावे। गैस पाइप लाइन के साथ-साथ सड़क को यथावत रखा जावे।

3. श्री संजीव कुमार डागा ख.न. 1880 व 1881 ग्राम भाकरोटा तहसील सांगानेर के 80'-0" चौड़ी सड़क की स्थिति में परिवर्तन प्रस्तुत प्रतिवेदन के संबंध में:-

मौके पर स्थित निर्माण को दृष्टिगत करते हुए सेक्टर प्लान में इस 80'-0" चौड़ी सड़क हेतु एक ही साइड से भूमि लेते हुए 80'-0" चौड़ी सड़क प्रस्तावित की गई थी। एक ही साइड से सड़क हेतु भूमि लिये जाने के कारण प्रार्थी ने एतराज किया तथा सड़क के दोनों ओर बराबर भूमि लिये जाने हेतु प्रतिवेदन में उल्लेख किया है। समिति ने आवेदक की आपत्ति को सही मानते हुए मौके पर स्थित सड़क को केन्द्र बिन्दु मानते हुए 80'-0" सड़क हेतु दोनों ओर से बराबर - बराबर भूमि लिए जाने का निर्णय लिया गया।

4. श्री राम बाबू गुप्ता ख.न. 2815, 1545, 1372, 1377, 1375, 1402 व 1403 ग्राम भाकरोटा में 100'-0" व 200'-0" की सड़क की स्थिति परिवर्तन हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदन के संबंध में:-

सेक्टर 51 में अजमेर रोड से 200'-0" चौड़ी सड़क तक उत्तर दक्षिण में 100'-0" चौड़ी सड़क प्रस्तावित है तथा अजमेर रोड के समानान्तर दक्षिण की ओर 200'-0" सड़क मास्टर प्लान योजना 2011 के अनुसार प्रस्तावित है यह दोनों सड़कें प्रार्थी के फार्म हाउस में से गुजर रही हैं जिस कारण इन फार्म हाउस की अत्यधिक भूमि सड़कों में जा रही है तथा शेष भूमि की उपयोगिता भी नहीं रहती है। समिति ने विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि अजमेर रोड से इस फार्म हाउस के पश्चिम की ओर 100'-0" चौड़ी सड़क प्रस्तावित की जावे तथा दक्षिणी कोर्नर से 200'-0" सड़क प्रस्तावित की जावे।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डाओ पर विचार-विमर्श एवं निर्णय लिये गये:-

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या-1 (जोन-)

विषय:- भूखण्ड संख्या 23 सैन कॉलोनी को सुविधा क्षेत्र से मुक्त किया जाना।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि प्रकरण को विस्तृत परीक्षण कर आगामी बैठक में रखा जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-2(जोन-5)

विषय:-शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना कीर्ती नगर के स्वीकृत मानचित्र में 100' सड़क की चौड़ाई 75'-0" किये जाने के संबंध में।

प्रकरण पर विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि इसी क्षेत्र में लवकुश नगर व बरकत नगर योजना में सवाई माधोपुर रेलवे लाइन के मध्य से 75' छोड़ते हुए योजनाओं के भूखण्डों का नियमन पूर्व में किया गया है अतः प्रस्तावित योजना में भी सवाई माधोपुर रेलवे लाइन के मध्य से 75'-0" भूमि आरक्षित रखते हुए निम्नांकित शर्तों के आधार पर किया जावे:-

कीर्तीनगर में सवाई माधोपुर रेलवे लाइन के मध्य से 75'-0" छोड़ते हुए उन भूखण्डों का नियमन कर दिया जावे जिनके लिये 75' के बाद प्रवेश मार्ग उपलब्ध है और निर्मित क्षेत्र मिलता है। 75 फीट पर जिन भूखण्डों की पीठ/सीमा आए उनके साइट प्लान में भूखण्ड के पश्चिम की भूमि जविप्रा को खुला क्षेत्र दर्शाई जावे।

ऐसे भूखण्ड जो पश्चिम मुखी हैं उनके प्रवेश के लिए सड़क उपलब्ध करवाने की दृष्टि से 75 फीट के बाद 25 फीट की सड़क का प्रावधान करते हुए नियमन किया जावे।

प्रत्येक भूखण्ड के सैटबैक दिये हुए नहीं है। अतः वर्तमान नियमों के अनुसार सैटबैक लिखकर साइट प्लान जारी कर दिया जावे।

योजना का आवासीय क्षेत्र जो पूर्व में सवाई माधोपुर रेलवे लाइन के समानान्तर प्रस्तावित 100 फीट चौड़ी सड़क के अन्दर आने के कारण स्वीकृत नहीं किया गया था, इस क्षेत्र में आवासीय क्षेत्र अब पूर्ण रूप से निर्मित होने के कारण राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प-5/3/नविपि/3/99 दिनांक 10.07.99 में प्रदान की गई शिथिलता के अनुसरण में इस बड़े हुए आवासीय क्षेत्र के भाग को उपरोक्तानुसार अनुमोदित किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-3(जोन-5)

विषय:-मास्टर विकास प्लान 2011 के अनुसार अजमेर रोड की अमानीशाह नाले के ब्रिज जंक्शन गोपालपुरा 200' बाईपास की निर्धारित चौड़ाई 200' को 160' किये जाने के संबंध में।

प्रकरण पर विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि अजमेर रोड की अमानीशाह नाले से ब्रिज जंक्शन से गोपालपुरा बाईपास क्रासिंग तक मास्टर विकास योजना में सड़क 200 फीट चौड़ी है एवं सेक्टर 2 व 5 में उक्त सड़क 160 फीट चौड़ी स्वीकृत है तथा सड़क के उत्तरी ओर जोन 7 की मुख्य अजमेर रोड पर अनुमोदित 6 योजनाओं में तथा सड़क के पश्चिम ओर जोन 5 की मुख्य अजमेर रोड पर अनुमोदित 7 योजनाओं में सड़क की चौड़ाई 160' स्वीकृत है अतः इस स्थान पर सड़क की चौड़ाई 200' के स्थान पर 160' किये जाने की अनुशंसा की जाती है। इसका अनुमोदन/संशोधन वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर-प्लान) द्वारा प्राधिकरण की बैठक में करवाया जाकर तदनुसार मास्टर प्लान में संशोधन किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-4(जोन-7)

विषय:- गुलाब बाड़ी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना गुलमोहर लेन के भूखण्ड संख्या 20 ए के नियमन के संबंध में।

समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। भूखण्ड संख्या 20 ए के नियमन बाबत भवन मानचित्र समिति की 101 वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार माननीय जनप्रतिनिधि जयपुर विकास आयुक्त एवं निदेशक (नगर आयोजना) द्वारा मौका देखा गया। मौका निरीक्षण दौरान यह निर्णय लिया गया कि सड़क का मार्गाधिकार 160' ही रखा जाये, भूखण्ड संख्या 20 ए के सड़क में जाने वाले भाग को सड़क हेतु समर्पित करवाया जाकर

UP

इसके एवज में भूखण्डधारी को एफएआर का लाभ दे दिया जावे। यही निर्णय इस लाईन में स्थित इसी का भूखण्ड संख्या 1, 15 व 21 पर भी लागू किया जावे।

सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)

क्रमांक :- जविप्रा/वननि/बी.पी.सी./2006/डी- 38

दिनांक :- 24/01/07

प्रतिलिपि :-

1. अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. माननीय विधायक श्री मोहन लाल गुप्ता
3. माननीय विधायक श्री नवरतन राजोरिया
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
6. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
7. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
8. अति० आयुक्त (पूर्व)/(पश्चिम)/(एलपीसी), जविप्रा, जयपुर।
9. वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट/एम.पी.) जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन जविप्रा, जयपुर।
11. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।